

"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी. 2-22-छत्तीसगढ़ गजट/38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-5-2001."



पंजीयन क्रमांक "छत्तीसगढ्/दुर्ग/ तक. 114-009/2003/20-01-03."

# छत्तीसगढ़ राजपत्र

# ( असाधारण ) प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 275 |

रायपुर, शुक्रवार, दिनांक 28 सितम्बर 2007-आश्विन 6, शक 1929

विधि और विधायी कार्य विभाग मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 28 सितम्बर 2007

क्रमांक 8548/डी-209/21-अ/प्रारूपण/07.— छत्तीसगढ़ विधान सभा का निम्नलिखित अधिनियम जिस पर दिनांक 27-09-2007 को राज्यपाल की अनुमित प्राप्त हो चुकी है, एतद्द्वारा सर्वसाधारण की जानकारी के लिए प्रकाशित किया जाता है.

> छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, विमला सिंह कपूर, उप-सचिव.

# छत्तीसगढ़ अधिनियम

(कमांक 13 सन् 2007)

# छत्तीसगढ़ पुलिस अधिनियम 2007

# विषय सूची

#### अध्याय-एक

#### प्रारंभिक

#### खण्डः

- 1. संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारंभ
- 2. परिभाषाएं

# अध्याय-दो पुलिस का ग्रठन तथा संगठन

- 3. राज्य के लिए पुलिस का गठन
- 4. पुलिस जोन एवं रेंज
- 5. पुलिस जिला
- 6. उप खण्ड एवं पुलिस जिला स्तरीय विशेष प्रकोष्ठ
- 7: पुलिस थाना
- रेल्वे क्षेत्र से संबंधित विशेष उपबंध
- 9. विशेष पुलिस अधिकारी
- 10. अतिरिक्त पुलिस अधिकारी

# अध्याय-तीन पुलिस का निदेशन तथा पर्यवेक्षण

- 11. राज्य पुलिस का अधीक्षण
- 12. पुलिस महानिदेशक
- 13. रेल्वे क्षेत्रों में पुलिस का पर्यवेक्षण
- 14. पुलिस कर्तव्यों पर कतिपय पुलिस अधिकारियों का कार्यकाल
  - 15. अधीनस्थ श्रेणी के पुलिस अधिकारियों के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्रवाई



## अध्याय-चार राज्य पुलिस आयोग एवं पुलिस स्थापना बोर्ड

- 16. राज्य पुलिस आयोग
- 17. स्वतंत्र सदस्य के नियुक्ति की अनर्हता
- 18. स्वतंत्र सदस्यों का कार्यकाल एवं विशेषाधिकार
- 19. स्वतंत्र सदस्यों को हटाया जाना
- 20. राज्य पुलिस आयोग के कार्य
- 21. राज्य पुलिस आयोग का वार्षिक प्रतिवेदन
- 22 पुलिस स्थापना बोर्ड

# अध्याय—पांच पुलिस अधिकारियों के कार्य तथा उत्तरदायित्व

- 23. पुलिस की भूमिका, कार्य तथा कर्तव्य
- 24. पुलिस अधिकारी सदैव कर्तव्य पर होगा तथा राज्य में नियोजित अथवा राज्य के बाहर तैनात किया जा सकेगा
- 25. पुलिस अधिकारी अन्य किसी रोजगार में संलग्न नहीं होगा
- 26. पुलिस अधिकारी कर्तव्य से प्रत्याहत नहीं होगा, आदि
- 27. पुलिस अधिकारी सूचना प्राप्त कर सकेगा
- 28. पुलिस अधिकारी अदावाकृत संपत्ति की सुपूर्दगी करेगा
- 29. पुलिस अधिकारी को डायरी रखना होगा
- 30. सरकार विवरण पत्र का प्ररूप विहित कर सकेगी
- 31. वर्दी, पदचिन्ह (तमगा), साजसज्जा आदि

#### अध्याय—छः पोलिसिंग के लिए विशेष प्रावधान

- 32. विशेष अपराध अन्वेषण इकाईयां
- 33. सार्वजनिक स्थलों को आरक्षित करने तथा अवरोधक बनवाने की शक्ति
- 34. सभाओं, जुलूस एवं परिसरों का विनियमन
- 35. ट्रैफिक का विनियमन
- 36. पुलिस अधिकारी को शक्तियाँ प्रदान करना
- 37. समुदाय संपर्क समूह

# 9

#### अध्याय—सात पुलिस जवाबदेही

- 38. पुलिस जवाबदेही प्राधिकार
- 39. प्राधिकार की संरचना
- 40. सदस्यता के लिए अपात्रता
- 41. सभापति एवं सदस्यों का कार्यकाल तथा सेवा की शर्ते
- 42. सभापति अथवा सदस्यों का हटाया जाना
- 43. प्राधिकार के कार्य

#### अध्याय—आठ कल्याण एवं शिकायतों का प्रतितोषण

- 44. पुलिस अधिकारियों का कल्याण
- 45. पुलिस कर्मियों के कल्याण के लिए कोष
- 46. पुलिस कल्याण ब्यूरो
- 47. पुलिस कर्मियों के शिकायतों का प्रतितोषण

## अध्याय–नौ सामान्य अपराघ एवं दण्ड

- 48. उच्शृंखल आचरणं के अपराध
- 49. पुलिस वर्दी का अनाधिकृत उपयोग

#### अध्याय—दस प्रकीर्ण

- 50. नियम बनाने की शक्ति
- 51. विनियम बनाने की शक्ति
- 52. कठिनाइयों के निराकरण की शक्ति
- 53. निरसन एवं व्यावृत्तियाँ

# छत्तीसगढ़ अधिनियम (कमांक 13 सन् 2007) छत्तीसगढ़ पुलिस अधिनियम, 2007

छत्तीसगढ़ राज्य में पुलिस बल तथा उससे संबंधित व आनुषंगिक विषयों संबंधी विधि को संशोधित व समेकित करने हेतु अधिनियम ।

भारत गणराज्य के अट्ठावनवें वर्ष में छत्तीसगढ़ विधानमंडल द्वारा निम्नलिखित रुप में यह अधिनियमित हो ।

#### अध्याय एक प्रारम्भिक

(1) यह अधिनियम छत्तीसगढ़ पुलिस अधिनियम 2007 कहलाएगा;
 (2) यह राजपत्र में इसके प्रकाशन के तारीख से प्रवृत्त होगा ।
 (3) इसका विस्तार संपूर्ण छत्तीसगढ़ राज्य में तथा राज्य के बाहर प्रारंम.

इसका विस्तार सपूर्ण छत्तीसगढ़ राज्य म तथा राज्य के बाहर तैनात छत्तीसगढ़ राज्य के पुलिस अधिकारी पर होगा।

(1) इस अधिनियम में जब तक संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो :- परिमाषायें.

(क) "मुख्य सचिव" से अभिप्रेत है, राज्य शासन के मुख्य सचिव;

(ख) ''पुलिस महानिदेशक'' से अभिप्रेव है, धारा 12 के अधीन नियुक्त अधिकारी:

(ग) "जिला" से अभिप्रेत हैं, छत्तीसगढ़ भू—राजस्व संहिता 1959(कमांक 2 सन् 1959) के तहत जिले के रूप में अधिसूचित राजस्व क्षेत्र:

(घ) ''जिला मजिस्ट्रेट'' से अभिप्रेत है, दण्ड प्रकिया संहिता, 1973 . (1974 का सं0 –2) की धारा 20 की उपधारा (1) के तहत नियक्त जिला मजिस्ट्रेट:

(ड.) 'नैतिक अधमता''से अभिप्रेत है, बेईमानी, जालसाजी, मादक, द्रव्य मत्तता, बलात्कार, नारी लज्जा भंग करना, अनैतिक दुर्व्यापार, नियोजित हिंसा से संबंधित कोई अपराध अथवा राज्य सरकार के विरुद्ध कोई अपराध:

(च) "चौकी" अर्थात् पुलिस थाना की अधिकारिता के अंतर्गत चौकी;

(छ) "पुलिस जिला" से अभिप्रेत है, इस अधिनियम के तहत पुलिस जिले के रूप में अधिसूचित क्षेत्र;

(ज) "पुलिस अधिकारी" से अभिप्रेत है, इस अधिनियम के अधीन नियुक्त अथवा इस अधिनियम के प्रारंभ होने से पूर्व राज्य की सेवा में नियुक्त पुलिस बल का कोई सदस्य एवं इसमें राज्य के लिए सेवा कर रहे भारतीय पुलिस सेवा के सदस्य अथवा राज्य में प्रतिनियुक्ति पर नियुक्त किसी अन्य पुलिस संगठन का सदस्य तथा इस अधिनियम की धारा 9 अथवा 10 के अधीन नियुक्त व्यक्ति सम्मिलित हैं:

- (झ) "अधीक्षण की शक्ति" से अभिप्रेत तथा इसमें सम्मिलित है, सभी कार्यपालिक तथा प्रशासनिक मामलों में निदेश, मार्गदर्शन व अनुदेश देने की शक्ति तथा इसमें दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973, (1974 का सं0 2) में अंतर्विष्ट, जांच से संबंधित प्रावधानों के अध्यधीन इस अधिनियम के तहत प्राधिकारी द्वारा, ऐसे मामलों में जारी किसी प्रशासनिक आदेश को निष्प्रभावी करने, उलटने, विखण्डित करने या पुनरीक्षित करने संबंधित शक्ति भी सम्मिलित है;
- (ञ) "सार्वजनिक स्थल" से अभिप्रेत है, ऐसा स्थल जहां लोगों की पहुँच हो;

(ट) ''विहित'' से अभिप्रेत है, नियमों द्वारा विहित;

(ठ) ''रेल्वे क्षेत्र'' से अभिप्रेत है, रेल्वे ट्रेक, रेल्वे स्टेशन के प्लेटफार्म तथा छत्तीसगढ़ राज्य के भीतर रेल्वे ट्रेक की पूर्ण लंबाई में चल रहे ट्रेन से अनुलग्न बाह्यतम सिग्नलों के मध्य समाविष्ट क्षेत्र;

(ड) "श्रेणी" से अभिप्रेत तथा इसमें सम्मिलित है, अधीनस्थ श्रेणियाँ तथा पर्यवेक्षक श्रेणियाँ:

- (ढ) "विनियम" से अभिप्रेत है, इस अधिनियम के अधीन बनाये गये विनियम;
- (ण) "नियम" से अभिप्रेत है, इस अधिनियम के अधीन बनाये गये नियम:
- (त) "राज्य" से अभिप्रेत है, छत्तीसगढ़ राज्य;

(थ) "राज्य सरकार" से अभिप्रेत है, छत्तीसगढ़ राज्य सरकार;

- (द) "अधीनस्थ श्रेणी" से अभिप्रेत है, सहायक या उप पुलिस अधीक्षक की श्रेणी से निचली श्रेणियां:
- (घ) "पुलिस अधीक्षक" से अभिप्रेत है, पुलिस जिले का प्रभारी पुलिस अधिकारी;
- (न) "पर्यवेक्षक श्रेणी" से अभिप्रेत है, सहायक और उप पुलिस अधीक्षक अथवा उससे ऊपर की श्रेणियां;
- (2) इस अधिनियम में प्रयुक्त किंतु विशेष रूप से अपरिभाषित शब्दों तथा अभिव्यक्तियों का वही अर्थ होगा, जैसा छत्तीसगढ़ सामान्य खण्ड अधिनियम, 1955 (क0 5 सन् 1955), दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 (1974 का सं0 2) तथा भारतीय दण्ड संहिता, 1860 (1860 का सं0 45) में उपबंधित है।

# अध्याय दो पुलिस का गठन तथा संगठन

राज्य सरकार के अभिकरण के रूप में राज्य के लिये एक राज्य के लिए (1) 3. पुलिस का गठन. राज्य पुलिस होगा।

राज्य पुलिस ऐसी श्रेणियों तथा संख्याओं तथा ऐसे संगठनों से (2) मिलकर बनेगा जिसे सरकार सामान्य या विशेष आदेश द्वारा अवधारित करे ।

- राज्य पुलिस के संगठन में प्रशिक्षण संस्थान, अनुसंधान तथा (3) विकास ब्यूरो, तकनीकी एवं सहायक सेवायें, आसूचना एवं आपराधिक अन्वेषण इकाइयां तथा समय-समय पर राज्य सरकार द्वारा निर्धारित अन्य निकाय व इकाइयां शामिल हो सकेंगे ।
- राज्य सरकार अधिसूचना द्वारा राज्य के संपूर्ण भौगोलिक क्षेत्र पुलिस जोन (1) को एक या अधिक पुलिस जोन में विभक्त कर सकेगी ।

पुलिस जोन में पुलिस बल का प्रशासन, पुलिस महानिरीक्षक की (2)श्रेणी के अधिकारी में निहित होगा।

राज्य सरकार, अधिसूचना द्वारा जोन के संपूर्ण भौगोलिक क्षेत्र (3) को एक या अधिक पुलिस रेंज में विभक्त कर सकेगी।

पुलिस रेंज में पुलिस का प्रशासन पुलिस उप महानिरीक्षक से (4) अनिम्न स्तर के अधिकारी में निहित होगा।

राज्य सरकार, अधिसूचना द्वारा राज्य के भौगोलिक क्षेत्र को पुलिस जिला. (1) 5. पुलिस जिलों में विभक्त कर सकेगी। परंतु वर्तमान पुलिस जिले तब तक पुलिस जिले बने रहेंगे जब तक कि उनका क्षेत्र परिवर्तित या पुनः अधिसूचित न हो ।

पुलिस जिले में जिला मजिस्ट्रेट के समस्त स्थानीय अधिकारिता (2) में पुलिस का प्रशासन, जिला मजिस्ट्रेट के सामान्य नियंत्रण व निर्देशन के अधीन जिला पुलिस अधीक्षक में निहित होगा।

राज्य सरकार अधिसूचना द्वारा प्रत्येक पुलिस जिले को एक या उपखंड एवं पुलिस (1) 6. अधिक उपखंडों में विभक्त कर सकेगी तथा ऐसे उपखंडों में प्रभारी सहायक / उप पुलिस अधीक्षक को प्रभारी नियुक्त कर सकेगी ।

परंतु वर्तमान उपखण्ड तब तक उपखण्ड बने रहेंगे, जब तक कि उन्हें परिवर्तित पुनः अधिसूचित न किया जाये ।

राज्य सरकार, अधिसूचना द्वारा एक पुलिस जिले में एक या (2) अधिक विशेष प्रकोष्ठ स्थापित करेगी तथा ऐसे विशेष प्रकोष्ठ के प्रभारी के रूप में पुलिस उप अधीक्षक से अनिम्न स्तर के अधिकारी को नियुक्त कर सकेगी ।

जिला विशेष प्रकोष्ठ. . (

पुलिस थाना. 7. (1) राज्य सर

राज्य सरकार, अधिसूचना द्वारा, उपखंड में प्रत्येक पुलिस थानों की क्षेत्रीय अधिकारिता स्पष्ट करते हुए एक या एक से अधिक पुलिस थाना स्थापित कर सकेगी।

(2) राज्य सरकार, उपनिरीक्षक से अनिम्न श्रेणी के पुलिस अधिकारी को पुलिस थाने के प्रभारी के रूप में नियुक्त कर सकेगी ।

(3) राज्य सरकार अधिसूचना द्वारा पुलिस थानों के अधिकारिता क्षेत्र में चौकी की अधिकारिता क्षेत्र स्पष्ट करते हुए एक या अधिक चौकी स्थापित कर सकेंगीं।

परंतु राज्य सरकार, अधिसूचना द्वारा किसी चौकी को पुलिस थाने की ऐसी शक्तियाँ व उत्तरदायित्व से निहित कर सकेगी जैसा कि आवश्यक समझा जाये ।

परंतु यह और कि वर्तमान पुलिस थाने और चौकियाँ तब तक पुलिस थाने और चौकी बने रहेंगे जब तक कि वे परिवर्तित या पुनः अधिसूचित न कर दिया जाये ।

रेल्वे क्षेत्र से 8. संबंधित विशेष उपबंध. राज्य सरकार अधिसूचना द्वारा एक या अधिक पुलिस जिले सृजित कर सकेगी, जिसका प्रमुख पुलिस अधीक्षक होगा तथा जिसमें राज्य के ऐसे रेल्वे क्षेत्र समाविष्ट होंगे जैसा कि सरकार विनिर्दिष्ट करे।

विशेष पुलिस 9. · (1) अधिकारी. इस संदर्भ में विहित नियमों के अधीन पुलिस अधीक्षक किसी भी समय, लिखित आदेश द्वारा किसी भी व्यक्ति को ऐसे अवधि के लिये, जैसा नियुक्ति आदेश में विनिर्दिष्ट हो, विशेष पुलिस अधिकारी के रूप में कार्य करने हेतु नियुक्त कर सकेगी।

(2) इस प्रकार नियुक्त प्रत्येक विशेष पुलिस अधिकारी को समान शक्तियां, विशेषाधिकार व संरक्षण प्रदत्त होंगे तथा वे समान कर्तव्यों के निष्पादन के लिये जवाबदेह होंगे एवं वे समान शक्तियों के लिए उत्तरदायी होंगे व पुलिस के सामान्य अधिकारियों की तरह वे समान प्राधिकारियों के अधीनस्थ होंगे।

अतिरिक्त पुलिस 10. (1) अधिकारी. राज्य सरकार अथवा यथास्थिति इस निमित्त राज्य सरकार द्वारा विशेष रूप से शक्तियाँ प्राप्त, प्राधिकारी ऐसे प्रयोजनों के लिये, ऐसी शर्तो व निबंधनों पर तथा ऐसी रीति से, जैसा कि विहित किया जाये, अतिरिक्त पुलिस अधिकारी नियुक्त कर सकेगी।

(2) ऐसे अतिरिक्त पुलिस अधिकारी की तैनाती या प्रतिनियुक्ति उसकी आवश्यकता दर्शाने वाले किसी व्यक्ति के निवेदन पर की जा सकेगी तथा ऐसी तैनाती या प्रतिनियुक्ति पर उपगत खर्च विहित रीति में ऐसी तैनाती या प्रतिनियुक्ति के लिए निवेदन करने वाले व्यक्ति से वसूल किया जा सकेगा।

# (3)

## अध्याय तीन

# पुलिस का निदेशन तथा पर्यवेक्षण

 राज्य पुलिस का अधीक्षण, सभी विषयों के संबंध में, राज्य सरकार में निहित होगा ।

राज्य पुलिस का अधीक्षण.

12.(1) राज्य सरकार, राज्य पुलिस के समग्र निदेशन व पर्यवेक्षण के लिए एक पुलिस महानिदेशक नियुक्त करेगी । पुलिस महानिदेशक.

(2) पुलिस महानिदेशक की नियुक्ति, ऐसे अधिकारियों में से जो पहले से ही महानिदेशक की श्रेणी में कार्यरत हो अथवा ऐसे अधिकारियों में से जिन्हें अखिल भारतीय सेवा अधिनियम, 1951 (1951 का सं 61) के उपबंधों के अधीन तथा ऐसे पदोन्नित हेतु लागू नियम के अनुसार, समिति द्वारा परीक्षण पश्चात् महानिदेशक की श्रेणी में प्रोन्नित हेतु उपयुक्त पाया गया हो, के पेनल द्वारा की जायेगी:

परन्तु, पेनल में अधिकारियों की संख्या तीन या राज्य में महानिदेशक की श्रेणी के लिए स्वीकृत संवर्ग पदों की संख्या के दुगने से अनिधक, में जो भी कम हो, होगी।

- (3) अखिल भारतीय सेवा अधिनियम, 1951 (1951 का सं. 61) के अधीन बनाये गये नियमों के अध्यधीन उपधारा (2) के अधीन नियुक्त ऐसे पुलिस महानिदेशक का न्यूनतम कार्यकाल दो वर्ष का होगा ।
- (4) उपधारा (3) के किसी बात के होते हुए भी, पुलिस महानिदेशक को उसकी नियुक्ति से दो वर्ष की कालावधि पूर्ण होने के पूर्व राज्य सरकार द्वारा निम्नलिखित के परिणामस्वरूप, कारणों को विनिर्दिष्ट करते हुए, लिखित में आदेश द्वारा, पद से हटाया जा सकेगा —
  - (क) किसी, आपराधिक प्रकरण में न्यायालय द्वारा दोषसिद्धि अथवा जहां न्यायालय द्वारा भ्रष्टाचार अथवा नैतिक अधमता का अभियोग विरचित किया गया हो;

(ख) अधिवार्षिकीय;

(ग) अखिल भारतीय सेवा (अनुशासन एवं अपील) नियम, 1969 अथवा कोई अन्य सुसंगत नियम के उपबंधों कि अधीन निचले पद पर अवनत किये जाने जैसे दण्ड का अधिनिर्णय;

(घ) निलंबन:

(ड.) शारीरिक अथवा मानसिक व्याधि के कारण पुलिस महानिदेशक के कार्यों के निर्वहन में अक्षमता;

(च) उनके स्वयं के निवेदन पर या;

(छ) प्रशासनिक अत्यावश्यकता जिसे लिखित में अभिलिखित किया जायेगा ।

रेल्वे क्षेत्रों में पुलिस का पर्यवेक्षण.

- 13.(1) राज्य सरकार, पुलिस महानिदेशक की सहायता के लिए,पुलिस समाविष्ट रेल्वे क्षेत्रों में तैनात पुलिस के निदेशन व पर्यवेक्षण प्रभारी के रूप में, एक उप पुलिस महानिरीक्षक अनिम्न श्रेणी के अधिकारी की नियुक्ति कर सकेगी।
- (2) रेल्वे क्षेत्र में पुलिस जिले का पर्यवेक्षण पुलिस अधीक्षक में निहित होगा ।

पुलिस कर्तव्यों पर 14.(1) पुलिस थाने के प्रभारी अधिकारी के रूप में पदस्थ पुलिस कितिपय पुलिस अधिकारियों का कार्यकाल दो वर्ष का होगा ।

- (2) उपधारा(1)में किसी बात के होते हुए भी, उस उपधारा (1)में निर्दिष्ट किसी अधिकारी को निम्न कारणों से उसके दो वर्ष के न्यूनतम कार्यकाल के पूर्ण होने के पूर्व, उसके पद से हटाया या स्थानांतरित किया जा सकेगा।
- (क) उच्च पद में प्रोन्नति पर ;
- (ख) अधिवार्षिकी पर ;

(ग) दण्ड न्यायालय द्वारा दोषसिद्धि पर ;

(घ) दण्ड न्यायालय द्वारा आपराधिक मामलों में आरोपित अभियोग विरचित होने पर ;

(ड.) उसके लिए लागू अनुशासनात्मक कार्रवाई से संबंधित नियमों के तहत पदच्युति, पद से हटाये जाने, सेवा मुक्त किये जाने अथवा अनिवार्य सेवानिवृत्ति अथवा निचले श्रेणी में अवनत किये जाने से दण्डित किये जाने पर; (च) निलंबन पर;

- (छ) शारीरिक अथवा मानसिक व्याधि के कारण उसके कर्तव्यों व कार्यों के निर्वहन में अक्षमता पर ;
- (ज) स्वतः निवेदन पर; अथवा
- (झ) प्रशासनिक आवश्यकता, जो लिखित रूप में अभिलिखित किया गया हो ।
- 15.(1) भारत के संविधान के अनुच्छेद 311 के उपबंधों के अधीन, पुलिस महानिदेशक अथवा इस निमित्त राज्य सरकार द्वारा प्राधिकृत कोई अन्य पुलिस अधिकारी अपने अधीनस्थ श्रेणी के किसी पुलिस अधिकारी को उसके कर्तव्यों के निर्वहन में असावधानी या उपेक्षावान या इस हेतु अनुपयुक्त पाये जाने पर अथवा किसी अवचार का दोषी पाये जाने पर, उसे पदच्युत, सेवा से हटा सकेगा, श्रेणी में अवनत, अथवा 15 दिनों से अनधिक अवधि के लिए या क्वार्टर में (दण्ड सहित या दण्ड रहित ड्रिल, अतिरिक्त पहरा, फटिक या अन्य डयूटी) परिरुद्ध कर सकेगा।

अधीनस्थ श्रेणी के पुलिस अधिकारियों के विरूद्ध अनुशासनात्मक कार्रवाई.

(2) उपधारा (1) के उपबंधों को प्रभावी बनाने के लिए राज्य सरकार नियम बना सकेगी ।

#### अध्याय चार

# राज्य पुलिस आयोग एवं पुलिस स्थापना बोर्ड

16.(1) राज्य सरकार, राज्य पुलिस आयोग की स्थापना करेगी (जो इसमें इसके पश्चात् "आयोग" के रूप में विनिर्दिष्ट है), जो इस अध्याय के उपबंधों के तहत सौंपे गये कृत्यों का निष्पादन करेगी ।

राज्य पुलिस आयोग.

- (2) गृहमंत्री, आयोग के सभापति होंगे तथा आयोग के अन्य सदस्य निम्नानुसार होंगे :--
  - (क) मुख्य सचिव;
  - (ख) गृह विभाग का प्रभारी सचिव;
  - (ग) पुलिस महानिदेशक;
  - (घ) राज्य सरकार द्वारा नाम निर्दिष्ट राज्य मानवाधिकार आयोग का सदस्य:

- (ड.) राज्य सरकार द्वारा नियुक्त दो स्वतंत्र सदस्य (किसी भी क्षेत्र जैसे शैक्षणिक, विधि, लोक प्रशासन, मीडिया या अन्य किसी क्षेत्र में सत्यनिष्ठा तथा सक्षमता के लिए ख्याति प्राप्त व्यक्ति ) ।
- (3) पुलिस महानिदेशक, आयोग के सचिव होंगे ।

स्वतंत्र सदस्य के नियुक्ति की अनर्हता.

- कोई व्यक्ति प्राधिकरण का सदस्य होने के लिए पात्र नहीं होगा, यदि वह ; —
  - (क) भारत का नागरिक न हो :

(ख) आयु 70 वर्ष से अधिक हो ;

(ग) किसी पुलिस, सेना या सहबद्ध संगठन में सेवारत हो या ऐसी नियुक्ति पूर्ववर्ती बारह महीनों में इस प्रकार सेवा में रह चुका हो ;

(घ) लोक सेवक के रूप में नियोजित हो :

- (ड.) संसद या राज्य विधानमण्डल या किसी स्थानीय निकाय का सदस्य सहित कोई निर्वाचित पद धारण करता हो ;
- (च) विद्यमान विधि के अधीन विधि विरुद्ध घोषित संगठन का सदस्य है या किसी रीति में सहयोगी हो ;
- (छ) किसी राजनैतिक दल का पदाधिकारी या सदस्य हो;
- (ज) नैतिक अधमता में शामिल किसी आपराधिक कृत्य के लिए या एक वर्ष या अधिक के कारावास से दण्डनीय अपराध के लिए दोषसिद्ध किया गया हो :
- (झ) उपरोक्त खण्ड (छ) में दर्शाये किसी अपराध के लिए अभियोजन चल रहा हो तथा जिसके विरूद्ध न्यायालय द्वारा आरोप विरचित किया गया हो : अथवा
- (ञ) विकृत चित्त का हो ।
- स्वतंत्र सदस्यों 18.(1) स्वतंत्र सदस्य का कार्यकाल उसकी नियुक्ति दिनांक से दो वर्ष की का कार्यकाल एवं कालावधि के लिए होगा तथा वह पुनर्नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होगा ।
  - (2) स्वतंत्र सदस्य अवैतिनिक रूप में कार्य करेगा तथा ऐसे सदस्य को विशेषाधिकार व सुविधायें वैसी दी जावेंगी, जैसा विहित किया जाये ।
- स्वतंत्र सदस्यों 19.(1) राज्य सरकार लिखित आदेश द्वारा किसी स्वतंत्र सदस्य को को हटाया जाना. निम्नलिखित में से किसी भी आधार पर हटा सकेगी :-

(क)(एक) अक्षमता पर ;

(दो) कदाचार पर ;

- (तीन) बिना किसी पर्याप्त कारण के आयोग की लगातार तीन कमवर्ती बैठकों में उपस्थित रहने में असफल रहने पर ;
- (चार) शारीरिक अथवा मानसिक दौर्बल्य के कारण असमर्थता पर ; अथवा
- (पांच) अन्यथा सदस्य के रूप में कृत्यों के निर्वहन में अन्यथा अयोग्य होने पर।
- (ख) यदि वह धारा 17 में विनिर्दिष्ट किसी निरर्हता को उपगत करने पर ।
- 20. आयोग निम्नलिखित कार्य संपादित करेगा, अर्थात :-

राज्य पुलिस आयोग के कार्य.

- (1) राज्य सरकार को दक्ष, प्रभावी, उत्तरदायी एवं जवाबदेह पोलिसिंग को प्रोत्साहित करने के लिए मार्गदर्शी नीति पर सलाह देना ;
- (2) राज्य सरकार को पुलिस बल की कार्यप्रणाली के मूल्यांकन के अनुपालन संकेतों को पहचानने में सहायता देना ;
- (3) पुलिस के कार्य संपादन पर अपने विचारों को राज्य सरकार को संसूचित करना ; तथा
- (4) पोलिसिंग के लिए भविष्य विषयक योजनायें बनाना तथा उन्हें राज्य सरकार को प्रस्तुत करना ।
- 21. आयोग, प्रत्येक वर्ष के अंत में, राज्य सरकार को पूर्ववर्ती वर्ष के दौरान अपने कार्य तथा साथ ही पुलिस के कार्य संपादन पर रिपोर्ट प्रस्तुत करेगी ।

राज्य पुलिस आयोग का वार्षिक प्रतिवेदन.

22.(1) राज्य सरकार, अधिसूचना द्वारा पुलिस स्थापना बोर्ड (जो इसमें इसके पश्चात "बोर्ड" के रूप में निर्दिष्ट है) गठित करेगी, जिसमें पुलिस महानिदेशक इसके सभापति तथा पुलिस उप महानिरीक्षक की श्रेणी से अनिम्न चार वरिष्ठ पुलिस अधिकारी होंगे ।

पुलिस स्थापना बोर्ड

- (2) बोर्ड निम्नलिखित कार्यों व कर्तव्यों का संपादन करेगा :--
  - (क) निरीक्षक के स्तर तक के अधीनस्थ श्रेणी का एक जोन या रेंज या जिले से दूसरे में स्थानांतरण करना ;
  - (ख) वरिष्ठ पुलिस अधिकारी द्वारा भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के अधीन बनाये गये नियमों के अधीन पारित आदेशों

से भिन्न, किसी आदेश से व्यथित किसी पुलिस अधिकारी द्वारा अभ्यावेदन प्राप्त करना तथा परीक्षण करना, और :-

- (एक) यदि अधीनस्थ श्रेणी के पुलिस अधिकारी से ऐसा अभ्यावेदन प्राप्त हुआ हो तो निराकरण करना;
- (दो) अन्य मामलों में राज्य सरकार को सिफारिश देना ।
- (ग) ऐसे अन्य कार्य एवं कर्तव्य जैसा कि विहित किया जाए ।
- (3) राज्य सरकार, व्यथित पुलिस अधिकारी द्वारा आदेश तिथि से छः माह के भीतर अभ्यावेदन देने पर पुलिस स्थापना बोर्ड द्वारा पारित आदेशों का पुनर्विलोकन कर सकेगी ।

## अध्याय पांच

# पुलिस अधिकारियों के कार्य तथा उत्तरदायित्व.

पुलिस की मूमिका, कार्य तथा कर्तव्य.

- पुलिस अधिकारी के कार्य तथा उत्तरदायित्व निम्नलिखित होंगे ; —
  - (1) (क) विधि को प्रवृत्त करना तथा लोगों के जीवन, स्वतंत्रता, सम्पत्ति, अधिकारों तथा मर्यादा की रक्षा करना;
    - (ख) अपराध तथा लोक उपदूषण रोकना ;
    - (ग) लोक व्यवस्था का अनुरक्षण करना ;
    - (घ) आंतरिक सुरक्षा को परिरक्षित करना, आतंकवादी गतिविधियों की रोकथाम करना तथा नियंत्रित करना तथा लोक शांति भंग को रोकना;
    - (ड.) सार्वजनिक संपत्ति की सुरक्षा करना ;
    - (च) अपराधों का पता लगाना तथा न्याय के लिए अपराधियों को लाना ;
    - (छ) ऐसे व्यक्तियों को गिरफ्तार करना जिसे गिरफ्तार करने के लिए वह विधिक रूप से प्राधिकृत हो तथा जिसके गिरफतारी के लिए पर्याप्त आधार विद्यमान हो ;
    - (ज) प्राकृतिक या मानव निर्मित संकट से उत्पन्न स्थितियों में लोगों की सहायता करना तथा राहत कार्यों में अन्य अभिकरणों को सहायता देना ;
    - (झ) जनता तथा वाहनों के व्यवस्थित संचालन को सरल, बनाना तथा ट्रेफिक को नियंत्रित तथा विनियमित करना ;
    - (ञ) लोक शांति को प्रभावित करने वाले विषयों तथा अपराध से संबंधित आसूचना एकत्र करना ;



(ट) लोक प्राधिकारियों को उनके कार्यों के निर्वहन में सुरक्षा प्रदान करना ;

(ठ) विधि द्वारा विहित अथवा प्राधिकृत प्राधिकारी द्वारा विधि के अधीन प्रदत्त निर्देशों पर सभी कर्तव्य एवं उत्तरदायित्वों का पालन करना ।

- (2) राज्य सरकार अथवा राज्य सरकार द्वारा इस निमित्त ं विशेष रूप से सशक्त प्राधिकारी, पुलिस अधिकारी को ऐसे अन्य कर्तव्य तथा उत्तरदायित्व सौंप सकेगी जैसा कि राज्य सरकार द्वारा विनिर्दिष्ट किया जाए ।
- 24. प्रत्येक पुलिस अधिकारी, सदैव कर्तव्य पर माना जायेगा, जब वह पुलिस अधिकारी के रुप में राज्य में नियोजित हो या राज्य के बाहर तैनात हो ।

पुलिस अधिकारी सदेव कर्तव्य पर होगा तथा राज्य में नियोजित अथवा राज्य के बाहर तैनात किया जा सकेगा

25. कोई पुलिस अधिकारी जब तक ऐसा करने के लिए उसने राज्य सरकार द्वारा लिखित में स्पष्टतः अनुज्ञा प्रदत्त न की गई हो, इस अधिनियम के अधीन अपने कर्तव्यों से भिन्न किसी भी रोजगार या पद में संलग्न नहीं हो सकेगा। पुलिस अधिकारी अन्य किसी रोजगार में संलग्न नहीं होगा.

26. कोई पुलिस अधिकारी जब तक ऐसी अनुमित देने के लिए प्राधिकृत अधिकारी द्वारा उसे स्पष्टतः ऐसा करने के लिए अनुमित न दिया गया हो, अपने पद के कर्तव्यों से स्वयं को प्रत्याहत होने के लिए स्वतंत्र नहीं होगा ।

पुलिस अधिकारी कर्तव्य से प्रत्याहत नहीं होगा, आदि.

27. किसी पुलिस अधिकारी के लिए क्षेत्राधिकार वाले मजिस्ट्रेट को सूचना देना एवं किसी अपराध कारित करने वाले व्यक्ति के विरुद्ध विधि के अंतर्गत जारी किये जा सकने वाले समन, वारंट, तलाशी वारंट अथवा अन्य विधिक आदेशिका के लिए आवेदन करना विधि सम्मत होगा । पुलिस अधिकारी सूचना प्राप्त कर सकेगा.

28.(1) प्रत्येक पुलिस अधिकारी का कर्तव्य होगा कि सभी अदावाकृत संपत्ति प्रभार में लें तथा संबंधित अधिकारिता के पुलिस थाने को उसकी सूची प्रदान करें ।

पुलिस अधिकारी अदावाकृत संपत्ति की सुपुर्दगी करेगा. (2) ऐसी संपत्ति का निपटारा उस् रीति से होगा, जैसा कि यथास्थिति जिला मजिस्ट्रेट अथवा अनुविभागीय मजिस्ट्रेट द्वारा निर्देशित किया जायेगा ।

पुलिस अधिकारी को डायरी रखना होगा. 29. पुलिस थाने के प्रत्येक प्रभारी अधिकारी का यह कर्तव्य होगा कि वह एक सामान्य डायरी ऐसे प्ररूप व रीति से रखे जैसा कि विहित किया जाये ।

सरकार विवरण पत्र का प्ररूप विहित कर सकेगी.

- 30.(1) राज्य सरकार पुलिस महानिदेशक द्वारा उसे प्रस्तुत किये जाने वाले विवरण पत्र का प्ररूप तथा रीति विहित कर सकेगी ।
  - (2) पुलिस महानिदेशक अन्य पुलिस अधिकारियों द्वारा उसे प्रस्तुत किये जाने वाले विवरण पत्र का प्ररूप तथा प्रकार आदेश द्वारा विनिर्दिष्ट कर सकेगा।

वर्दी, पदचिन्ह (तमगा), साजसज्जा आदि.

- 31.(1) राज्य सरकार, यथा स्थिति पुलिस अधिकारियों अथवा पुलिस अधिकारियों के वर्ग के लिए वर्दी, तमगा तथा साजसज्जा विहित कर सकेगी।
  - (2) पुलिस महानिदेशक वर्दी, तमगा तथा साजसज्जा धारण करने के लिए समय-समय पर निदेश जारी कर सकेगा ।

#### अध्याय छः

# पोलिसिंग के लिए विशेष प्रावधान.

विशेष अपराध अन्वेषण इकाईयां.

- 32.(1) राज्य सरकार, सामान्य या विशेष आदेश द्वारा, किसी पुलिस जिले, उपखण्ड अथवा यथास्थिति पुलिस थाने में एंक विशेष अपराध अन्वेषण इकाई सृजित कर सकेगी जिसका प्रमुख एक ऐसा अधिकारी होगा जो पुलिस उप निरीक्षक से अनिम्न श्रेणी का हो।
  - (2) ऐसी इकाइयों में तैनात पुलिस अधिकारी को अत्यंत विशेष परिस्थितियों में पुलिस महानिदेशक की अनुमति के सिवाए उनकी ड्यूटी के अलावा अन्य कोई ड्यूटी नहीं सौंपी जायेगी।
  - (3) पुलिस महानिदेशक द्वारा सामान्य या विशेष आदेश से विशेष अपराध अन्वेषण इकाई द्वारा अन्वेषित किये जा सकने वाले अपराधों को विनिर्दिष्ट कर सकेगा ।

33. राज्य सरकार के किसी प्रतिबंध एवं निर्बन्धनों के अध्यधीन जैसा कि आदेश द्वारा विनिर्दिष्ट किया जाये : –

सार्वजनिक स्थलों को आरक्षित करने तथा अवरोधक बनवाने की शक्ति.



- (क) जिला पुलिस अधीक्षक सार्वजनिक सूचना के द्वारा, किसी जन उद्देश्य के प्रयोजन के लिए किसी गली या अन्य सार्वजनिक स्थल को अस्थायी रूप से आरक्षित कर सकेगा तथा ऐसे आरक्षित क्षेत्र में जनता तथा वाहनों के संचालन का विनियमन कर सकेगा, तथा
- (ख) जिला पुलिस अधीक्षक, आम जनता के हित में, लोक व्यवस्था के अनुरक्षण के लिए सार्वजनिक सड़कों तथा गलियों में अवरोध तथा अन्य आवश्यक संरचना बनाने के लिए तथा किसी अपराध का पता लगाने व रोकथाम के लिए वाहनों या उनके अधिपत्य धारकों को रोकने हेतु किसी पुलिस अधिकारी को प्राधिकृत कर सकेगा ।
- 34. (1) जिला पुलिस अधीक्षक, सार्वजिनक सड़कों अथवा सार्वजिनक गिलयों अथवा आमरास्ता पर सभी सभाओं व जुलूसों को विनियमित करने के लिए सामान्य या विशेष आदेश जारी कर सकेगा तथा ऐसे मार्ग जिसके द्वारा तथा ऐसा समय जिस पर ऐसे जुलूस जा सकें, विहित कर सकेगा।

समाओं, जुलूस एवं परिसरों का विनियमन.

परन्तु, जहां जिला पुलिस अधीक्षक, इस बात से संतुष्ट हो कि किसी व्यक्ति या व्यक्तियों के समूह के द्वारा आशयित हो, यदि अनियंत्रित हो, शांति ऐसे सड़क, गली या आम रास्ता में सभा का संयोजन या एकत्र करना अथवा कोई जुलूस निकालना, यदि अनियंत्रित हो, शांति भंग होने की संभावना हो तो वह ऐसे यथास्थिति व्यक्तियों या व्यक्तियों के समूह को, अनुविभागीय मजिस्ट्रेट से अनुमति प्राप्त करने के लिए निर्देशित कर सकेगा।

(2) जिला मजिस्ट्रेट या अनुविभागीय मजिस्ट्रेट ऐसी शर्तों के साथ, जिसे वह उपयुक्त समझे, अपेक्षित अनुमित प्रदान कर सकेगा ।

परन्तु यदि उसकी राय में गली या आमरास्ता में ऐसे सड़क पर सभा संयोजित करने या एकत्रित करने अथवा जुलूस निकालने से शांति भंग की संभावना हो, तो वह अनुमति प्रदान करने से इंकार कर सकेगा ।

- (3) कोई पुलिस अधिकारी जिस पर आम सभा या जुलूस को विनियमित करने का उत्तरदायित्व हो, किसी जुलूस को जिसके पास उपधारा (2) में संदर्भित अनुमित न हो अथवा उसकी राय में अनुमित की शर्तों को अतिक्रमित करता हो, रोक सकेगा एवं सभा को बिखराने का अथवा अन्य कार्य का आदेश दे सकेगा ।
- (4) कोई जुलूस या सभा जो अंतिम पूर्ववर्ती उप—धारा के तहत दिये गये आदेश की उपेक्षा या अस्वीकार करती है, उसे विधि विरूद्ध जमाव समझा जायेगा।

- (5) जिला पुलिस अधीक्षक, आम जनता के हित में किसी सार्वजनिक स्थल में प्रवेश या निर्गम या प्रवर्तन के समय को, विनियमित करने के लिए आदेश जारी कर सकेगा।
- (6) जिला पुलिस अधीक्षक आदेश द्वारा किसी मकान, दुकान या सार्वजनिक परिसर के मालिक से, परिसर के किरायेदार, पट्टेदार, अनुज्ञप्तिधारी, घरेलू सहायता के लिए नियोजित व्यक्ति अथवा, अन्यथा परिसर में आधिपत्य धारक के संबंध में विनिर्दिष्ट प्रारूप में विस्तृत विवरण मांग सकेगा ।

#### ट्रैफिक का विनियमन

35. जिला पुलिस अधीक्षक ट्रैफिक के सुचारू व सुव्यवस्थित संचालन सुनिश्चित करने के लिये समय-समय पर मोटर सायकल सवारों, सायकल सवारों, पदयात्रियों तथा जानवर साथ ले जा रहे व्यक्तियों के संदर्भ में आम सड़कों तथा गलियों के उपयोग को विनियमित करने तथा सायकल सहित सभी वाहनों की पार्किंग को विनियमित करने की दृष्टि से निर्देश जारी कर सकेगा।

#### पुलिस अधिकारी को शक्तियाँ प्रदान करना

36. राज्य सरकार, अधिसूचना द्वारा किसी व्यक्ति को तत्समय प्रवृत्त किसी अधिनियम के अधीन किसी पुलिस अधिकारी द्वारा प्रयोग की जाने वाली कोई शक्ति प्रदत्त कर सकेगी और ऐसा व्यक्ति जिला पुलिस अधीक्षक के आदेशों के अध्यधीन होगा ।

#### समुदाय संपर्क 37. समूह

जिला पुलिस अधीक्षक, विहित रीति से, प्रत्येक पुलिस थाने के लिए पुलिस बल को उनके कार्यो के निर्वहन में सहायता देने की दृष्टि से, समुदाय के प्रतिनिधियों से मिलकर बना एक या अधिक . समुदाय सम्पर्क समूह गठित करेगा।

#### अध्याय सात पुलिस जवाबदेही

#### पुलिस जवाबदेही प्राधिकार

- 38. (1) राज्य सरकार यथाशीघ्र एक राज्य पुलिस जवाबदेही प्राधिकार (जो इसमें इसके पश्चात् प्राधिकार के रूप में निर्दिष्ट है) की स्थापना करेगी ।
  - (2) प्राधिकार को ऐसी सचिवीय सहायता दी जायेगी, जैसा कि राज्य सरकार, समय—समय पर सामान्य या विशेष आदेश द्वारा निर्धारित करे।

#### प्राधिकार की 39. संरचना

प्राधिकार में मानवाधिकारों के प्रति सन्निष्ठा तथा प्रतिबद्धता का विश्वसनीय रिकार्ड रखने वाले, राज्य सरकार द्वारा नामनिर्दिष्ट, चार सदस्य होंगे तथा यह निम्न से मिलकर बनेगा:-

- (1) उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश अथवा उच्चतर न्यायिक सेवा के सेवानिवृत्त न्यायाधीश, जो अधिवार्षिकीय आयु के समय उच्च न्यायालय में न्यायाधीश होने की योग्यता रखता हो, प्राधिकार का सभापति होगा.

अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक की श्रेणी या उससे ऊपर श्रेणी का (2) वरिष्ठ सेवानिवृत्त पुलिस अधिकारी,

राज्य सरकार के सचिव की श्रेणी या उससे ऊपर श्रेणी का (3) वरिष्ठ सेवानिवृत्त लोक सेवक,

सिविल समाज से ख्याति प्राप्त तथा प्रतिष्ठित व्यक्ति जो (4) सा ान्यतया छत्तीसगढ राज्य में निवास करता हो:

परन्तू, प्राधिकार में कम से कम एक सदस्य महिला होगी ।

- 40. कोई व्यक्ति प्राधिकार की सदस्यता के लिए अपात्र होगा, यदि वह :--
  - (क) भारत का नागरिक न हो:

70 वर्ष से अधिक आयु का हो; (ख)

सदस्यता के लिए अपात्रता

सेवा की शर्ते

- किसी पुलिस, सेना या सम्बद्ध संगठन में कार्य कर रहा हो, (11) अथवा ऐसी नियुक्ति के पूर्ववर्ती बारह महीनों में सेवा कर चुका हो:
- (घ) लोक सेवक के रूप में नियोजित हो:
- जो राज्य के किसी स्थानीय निकाय या विधानमंडल का या संसद सदस्य हो अथवा जो किसी राजनैतिक दल या उससे संबंधित किसी संगठन का पदाधिकारी हो:

(च) नैतिक अधमता के अपराध का अथवा एक साल या अधिक की कैद से दण्डनीय किसी अपराध का दोषसिद्ध हो;

- जो उपरोक्त उपखण्ड (ज) में उल्लेखित किसी अपराध का अभियोगी 'हो तथा जिसके विरुद्ध दाण्डिक न्यायालय द्वारा आरोप विरचित किया गया हो; या
- जो किसी सक्षम न्यायालय द्वारा विकृत मस्तिष्क घोषित किया (朝) गया हो ।
- सदस्य तथा सभापति का कार्यकाल दो वर्ष का होगा, तथा एक सभापति एवं 41. (1) अन्य कार्यकाल के लिए प्रतिनियुक्ति का पात्र होगा । सदस्यों

वह अपना कार्यकाल पूर्ण होने के पूर्व किसी समय अपने पद से कार्यकाल तथा (2)इस्तीफा दे सकेगा ।

सदस्यों का पारिश्रमिक, भत्ते तथा सेवा की अन्य निर्बन्धन एवं (3)शर्ते ऐसी होगी, जैसा कि राज्य सरकार समय-समय पर अधिसूचित करे।



सभापति अथवा 42. सदस्यों का हटाया जाना सभापति सहित प्राधिकार के किसी भी सदस्य को पद से, प्राधिकार की सिफारिश पर, सदस्यों के तीन—चौथाई बहुमत द्वारा, राज्य सरकार के आदेश से, निम्न आधारों पर निष्कासित किया जा सकेगा:—

- (क) उसके विरुद्ध अवचार अथवा कदाचार सिद्ध होने पर;
- (ख) प्राधिकार के कर्त्तव्यों के निष्पादन में लगातार उपेक्षा करने पर;
- (ग) ऐसी कोई स्थिति आने पर, जो धारा 40 के तहत किसी सदस्य को प्राधिकार में नियुक्ति के लिए अपात्र हो जाने; अथवा
- (घ) संबंधित सदस्य के, अपने कार्यावधि के दौरान अपने पद कर्त्तव्यों के अलावा किसी वैतनिक रोजगार में संलग्न होने पर ।

प्राधिकार के कार्य 43. (1) प्राधिकार की शक्तियां तथा कार्य निम्नानुसार होंगे:--

(क) पुलिस कर्मियों के विरुद्ध -

(एक) पीड़ित अथवा उसके निकट संबंधी द्वारा शपथ-पत्र समर्थित शिकायत प्राप्त होने ;

- (दो) राज्य सरकार द्वारा विनिर्दिष्ट किये जाने, पर "गंभीर अवचार" के आरोप की जांच करना ।
- (ख) ऐसे अन्य कार्य करना, जिसे राज्य सरकार समय-समय पर आदेश में निर्दिष्ट करे ।

स्पष्टीकरण:- "गंभीर अवचार" का इस् अध्याय के प्रयोजन के लिए अर्थ होगा :-

> एक पुलिस अधिकारी द्वारा किया गया कोई असद्भावपूर्ण कार्य या लोप जिसका परिणाम निम्न हो या जो निम्नांकित श्रेणी में आये :--

(एक) पुलिस अभिरक्षा में -

(क) मृत्यु; अथवा

(ख) बलात्कार अथवा बलात्कार का प्रयास; अथवा

(ग) गभीर उपहति; अथवा

- (दो) ऐसे अन्य कार्य जो राज्य सरकार द्वारा, आदेश द्वारा विनिर्दिष्ट किया जाये ।
- (2) पूर्वोक्त उपधारा में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, प्राधिकार उन शिकायतों पर संज्ञान नहीं लेगा, जिन मामलों में राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग, राज्य मानव अधिकार आयोग द्वारा जांच की जा रही हो या जांच आयोग अधिनियम के अंतर्गत जांच की विषयवस्तु हो या न्यायालय में विचाराधीन हो

- (3) प्राधिकार घटना के छः मास पश्चात प्राप्त शिकायत पर संज्ञान नहीं लेगा ।
- उपधारा (1) के अधीन किसी विषय की जांच अथवा कोई कार्य (4) करने के लिए प्राधिकार के पास निम्नलिखित मामलों के संबंध में विशेष रुप से वे समस्त शक्तियाँ रहेगी जो सुनवाई के दौरान एक सिविल न्यायालय में निहित रहती हैं, अर्थात -
  - (क) किसी व्यक्ति को समन करना तथा उसको हाजिर कराना और शपथ पर उसकी परीक्षा करनाः
  - (ख) किसी दस्तावेज के प्रकटीकरण तथा पेश किये जाने के लिए अपेक्षा करनाः
  - (ग) शपथ-पत्रों पर साक्ष्य प्राप्त करना;
  - (घ) किसी न्यायालय या कार्यालय से किसी लोक अभिलेख या उसकी प्रतिलिपि की अध्यपेक्षा करना:
  - (ङ) साक्षियों या दस्तावेजों के परीक्षण के लिये कमीशन जारी करनाः और
  - (च) ऐसे अन्य विषय जो कि विहित किये जायें ।
- प्राधिकार राज्य सरकार को प्रतिवेदन प्रस्तुत करेगी तथा जहां भी (5) वह उचित समझे सिफारिश भी करेगी ।

## अध्याय आठ कल्याण एवं शिकायतों का प्रतितोषण

- राज्य सरकार सामान्य या विशेष आदेश द्वारा, पुलिस बल के पुलिस 44. अधिकारियों कल्याण के लिए उन उपायों को निर्दिष्ट कर सकेगी, जो उचित का कल्याण समझा जावे।
- राज्य सरकार, अधिसूचना द्वारा पुलिस कर्मियों के लिए एक कोष पुलिस कर्मियों 45. (1) के कल्याण के की स्थापना कर सकेगी। लिए कोष

कोष का प्रशासन एवं लेखा परीक्षण उसी रीति से किया जावेगा, (2) जैसा कि निर्धारित हो।

- कोष में निम्न राशियाँ जमा की जावेंगी, अर्थात -(3)
  - (क) राज्य सरकार द्वारा स्वीकृत कोई अनुदान;
  - पुलिस कर्मियों द्वारा कोष में दिया गया अभिदाय; या
  - कोई अन्य अनुदान, दान अथवा सहयोग जो कोष के लिए दिया गया हो।

प्रतितोषण

- पुलिस 46. (1) राज्य सरकार, अधिसूचना द्वारा, पुलिस किमीयों के कल्याणकारी उपायों को लागू कराने हेतु पुलिस कल्याण ब्यूरों की संरचना कर सकेगी
  - (2) राज्य सरकार, अधिसूचना द्वारा पुलिस कल्याण ब्यूरो के संरचना, कार्यों एवं उत्तरदायित्वों को विनिर्दिष्ट कर सकेगी ।
- पुलिस 47. (1) राज्य सरकार पुलिस कर्मियों के कठिनाइयों के प्रतितोषण के लिए किमीयों के तंत्र एवं प्रक्रिया निर्धारित कर सकेगी।

(2) ऐसा तंत्र, पुलिस जिला, पुलिस रेंज एवं पुलिस महानिदेशक स्तर पर पुलिस कर्मियों के शिकायतों के प्रतितोषण के लिए संरचना सुनिश्चित करेगी तथा यह भी सुनिश्चित करेगी की प्रत्येक पुलिस अधिकारी को कम से कम एक अपील करने का अधिकार होगा यदि वह अपनी शिकायतों के निराकरण से संतुष्ट न हो।

## अध्याय नौ

#### सामान्य अपराध एवं दण्ड

उच्धृंखल 48. (1) कोई व्यक्ति आम स्थान पर, निम्नलिखित दुराचरण के कार्यों में लिप्त आचरण के पाया जावेगा, तो वह रु० 1,000 / — से अनधिक अर्थदण्ड से दण्डित अपराध किया जा सकेगा, अर्थात् :--

(क) आम जनता के बीच में मदमस्त एवं हिंसक या अपदूषण

करते हुए पाया जाए ;

(ख) जानबूझकर झूठी अफवाह फैलाए या पुलिस, अग्निशमन या किसी अत्यावश्यक सेवाओं को भ्रमित करने के लिए झूठी सूचना दे या, और

(ग) किसी महिला अथवा व्यक्ति को क्षोभ पहुँचाने के लिए

अभद्र आचरण या इशारे करे या बुलाए ।

- (2) किसी पुलिस अधिकारी के लिए ऐसे व्यक्ति को बिना वारंट के गिरफ्तार करना विधिपूर्ण होगा ।
- (3) उपधारा (1) के अंतर्गत कारित कोई अपराध का समन मौके पर इस निमित्त अधिकृत पुलिस अधिकारी द्वारा, अपराधी द्वारा 500/-रुपये भुगतान किये जाने पर, किया जा सकेगा ।
- (4) यदि ऐसा अपराध का समन उपधारा (3) के अंतर्गत हो जाता है तो यदि अपराधी अभिरक्षा में है तो उसे तत्काल मुक्त किया जावेगा एवं उसके विरुद्ध ऐसे अपराध के संबंध में कोई अग्रिम कार्यवाही नहीं की जावेंगी।



- (5) यदि अपराध में समन नहीं किया जाता है तो उप धारा (2) के अंतर्गत गिरफ्तार व्यक्ति को गिरफ्तारी के 24 घंटे के भीतर संबंधित मजिस्ट्रेट के समक्ष प्रस्तुत किया जावेगा ।
- 49. कोई व्यक्ति, जो पुलिस अधिकारी नहीं है, पुलिस की वर्दी पहनता है या कोई वर्दी जो वैसा दिखे या उस वर्दी से मेल खाते हुए कोई चिन्ह, जो यथास्थिति, राज्य सरकार अथवा राज्य सरकार की ओर से अधिकृत अधिकारी से बिना अधिकृत हुए पहनता है तो उसे तत्समय प्रतृत्त किसी अन्य विधि में दण्ड प्रावधान के अतिरिक्त छः माह से अनिधक कारावास या अर्थदण्ड या दोनों से दण्डित किया जा सकेगा।

पुलिस वर्दी का अनाधिकृत उपयोग

#### अध्याय दस प्रकीर्ण

- 50. (1) राज्य सरकार इस अधिनियम के प्रयोजनों को कियान्वित करने के नियम बनाने लिए नियम बना सकेगी। की शक्ति.

  परंतु विद्यमान पुलिस विनियम तब प्रवृत्त रहेंगे जब तक वे परिवर्तित यां निरसित नहीं कर दिये जाते ।
  - (2) इस अधिनियम के अंतर्गत बनाये गये समस्त नियम यथासंभव शीघ्र विधानसभा के पटल पर रखे जायेंगे ।
- (1) इस अधिनियम तथा इसके अधीन बनाए गए नियमों के उपबंधों के विनियम बनाने अध्यधीन, पुलिस महानिदेशक, राज्य सरकार के पूर्व अनुमोदन से की शक्ति.
  निम्न के लिए विनियम बना सकेगा:—
  - (क) अपराध की रोकथाम तथा विवेचना ;
  - (ख) पुलिस संगठन के निरीक्षण तथा पुलिस अधिकारियों द्वारा संपादित कार्य:
  - (ग) राज्य पुलिस को मुहैया कराये जाने वाले शस्त्रों, साज-सज्जा, वस्त्र तथा पहनने तथा ले जाने वाली वस्तुओं के प्रकार तथा गुणवत्ता का निर्धारण;
  - (घ) समस्त श्रेणियों तथा वर्गों के अधिकारियों के कर्तव्यों का समानुदेशन तथा रीति तथा शर्तों का निर्धारण जिसके अध्यधीन वे अपने संबंधित शक्तियों का प्रयोग तथा कर्तव्यों का निर्वहन करेंगे;
  - (ड.) पुलिस द्वारा गुप्तवार्ता का संग्रहण एवं संचारण एवं सूचना;

- (च) संधारित किये जाने वाले अभिलेखों, पंजियों तथा प्रपत्रों तथा विभिन्न पुलिस इकाईयों एवं अधिकारियों द्वारा प्रस्तुत किये जाने वाले विवरणियों का निर्धारण:
- (छ) सामान्यतया, पुलिस को और अधिक दक्ष बनाने तथा उसे अपनी शक्ति का दुरुपयोग एवं कर्तव्य विमुख होने से रोकने, और
- (ज) ऐसे अन्य विषय जिसे राज्य सरकार अधिसूचना द्वारा निदेशित करें :

परन्तु विद्यमान राज्य पुलिस विनियम तब तक बने रहेंगे जब तक वे परिवर्तित या निरसित न कर दिये जायें।

- (2) इस अधिनियम के अधीन विनियम तथा इसमें किए गये संशोधन राजपत्र में अधिसूचित किये जाएंगे तथा ऐसी अधिसूचना राजपत्र में इसके प्रकाशन के पश्चात् प्रवृत्त होगी।
- (3) कोई अन्य विषय जो राज्य सरकार द्वारा राजपत्र में आदेश प्रकाशित कर निर्धारित किया जाए ।
- कठिनाइयों के 52. (1) निराकरण की शक्ति

इस अधिनियम के प्रभावशील करने में यदि कोई कठिनाई उद्भूत हो, तो राज्य सरकार, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, इस अधिनियम से अनसंगत ऐसे उपबंध कर सकेगी जैसा कि कठिनाई के निराकरण के लिए आवश्यक अथवा समीचीन हो।

परन्तु इस धारा के अंतर्गत, इस अधिनियम के प्रारंभ होने की तारीख से 03 वर्ष के अवसान के पश्चात् कोई भी आदेश जारी नहीं किया जावेगा।

- (2) इस धारा के अधीन जारी प्रत्येक आदेश यथासंभव शीघ विधानसभा के पटल पर रखे जाएंगे ।
- निरसन एवं 53. (1) छत्तीसगढ़ राज्य के लिए लागू भारतीय पुलिस अधिनियम. 1861 व्यावृत्तियाँ (1861 का सं0 5) एतदद्वारा निरसित किया जाता है ।
  - (2). उपधारा (1) के अधीन किया गया निरसन ऐसे निरसित अधिनियमिति के पूर्व प्रवर्तन को प्राभावित नहीं करेगा । निरसित अधिनियम के प्रावधानों के द्वारा अथवा अंतर्गत किए कोई कार्य या कारित या किये



या कर्नेस्त समझे सम्म कोई कार्य, (जिसमें कोई निश्वित सा अन्या कर्नेस्त कार्यस्त विदेश कर्नेस्त किया स्थितिहरूम, अदेश, विदेश या सभी प्रधना, विनिश्य का निर्देश किया स्थितिहरूम, अहाँ तक वह इस आधिनियम के उपबंधों स अनस्यम हो इस आधिनियम के अन्तर्भत किया गया माना जायेगा और व तब तक प्रभावजील हों। जब तक इस अधिनियम के प्रावधानों के अंतर्गत किसी कार्य या कार्यवाहीं हांश निलंबित न किया जाये।

# रायपुर, दिनाक 28 सितम्बर 2007

क्रमांक 8548/डी 209/21-अ/प्रारूपण/07 - भारत के संविधान के अनुच्छद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में छत्तीसगढ़ पुलिस अधिनियम, 2007 (क्रमांक 13 सन् 2007) का अंग्रेजी अनुदाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतदहारा प्रकाशित किया जाता है.

> छत्तीसगढ़ के राज्यजाल के नाम से तथा आदेशानुसार, विमला शिंह कप्रूर, उप-शांवर



## CHHATTISGARH ACT (NO. 13 OF 2007)

#### CHHATTISGARH POLICE ACT, 2007.

क्रमांक 8548/डी 209/21-अ/प्रारूपण/07.- An Act to consolidate and amend the law relating to Police Force in the State of Chhattisgarh and matters connected therewith and incidental thereto.

Be it enacted by the Chhattisgarh State Legislature in the Fifty-eighth year of Republic of India as follows:-

#### CHAPTER 1- PRELIMINARY

 (1) This Act may be called the Chhattisgarh Police Act, 2007; Short title, extent and commencement.

- (2) It shall come into force from the date of its publication in the Official Gazette;
- (3) It extends to the whole of the State of Chhattisgarh, and to the police officers of the State of Chhattisgarh deployed outside the State.
- 2. In this Act, unless the context otherwise Definitions. requires, -
  - (a) "Chief Secretary" means the Chief Secretary to the State Government;
  - (b) "Director General of Police" means the officer appointed under section 12;
  - (c) "District" means a revenue territory notified as a district under the Chhattisgarh Land Revenue Code, 1959 (No.20 of 1959);



- (d) "District Magistrate" means District Magistrate appointed under sub-section (1) of section 20 of the Code of Criminal Procedure, 1973 (No.2 of 1974);
- (e) "Moral Turpitude" means involvement in any crime which pertains to cheating, forgery, drugs, intoxication, rape, offending the modesty of a women, immoral trafficking, planned violence or any offence against the State Government;
- (f) "Outpost" means post within the jurisdiction of Police Station;
- (g) "Police District" means the territory notified as police district under this Act;
- (h) "Police Officer" means any member of the Police Force appointed under this Act or appointed before the commencement of this Act for the State and includes members of the Indian Police Service or members of any other police organization on deputation to the State Police, serving for the State and persons appointed under section 9 or 10 of this Act;
- (i) "Power of Superintendence" means and includes power of giving directions, guidance and instructions in all executive and administrative matters and also includes the power to annul, reverse, rescind or revise any administrative order issued in such matter by an authority under this Act, subject to the provisions pertaining to investigation as contained in the Code of Criminal Procedure, 1973 (No. 2 of 1974);
- (j) "Public place" means any place to which the public has access;
- (k) "Prescribed" means prescribed by rules;
- (l) "Railway Area" means an area between outer-most signals appurtenant to railway

tracks including railway platforms of a railway station and shall include running trains over the entire length of the railway tracks within the State of Chhattisgarh;

- (m) "Ranks" means and includes subordinate ranks and supervisory ranks;
- (n) "Regulations" means regulations made under the Act;
- (o) "Rules" means the rules made under the Act;
- (p) "State" means the State of Chhattisgarh;
- (q) "State Government" means the State Government of Chhattisgarh;
- (r) "Subordinate Ranks" means ranks below the rank of Assistant or Deputy Superintendent of police;
- (s) "Superintendent of Police" means the police officer in charge of a Police District;
- (t) "Supervisory Ranks" means ranks of Assistant and Deputy Superintendent of Police or above.
- (2) Words and expressions used in this Act but not defined specifically shall have the same meaning as provided in the Chhattisgarh General Clauses Act, 1955 (No. 5 of 1955), the Code of Criminal Procedure 1973, (No. 2 of 1974), and the Indian Penal Code, 1860 (No. 45 of 1860).

#### CHAPTER -II

#### CONSTITUTION AND ORGANIZATION OF THE POLICE.

(1) There shall be a State Police for the State, as an agency of the Government. Constitution of State Police.

- (2) The State Police shall consist of such ranks and numbers and have such organisation as the Government may, by general or special order, determine.
- (3) The organization of the State Police may include training institutions, research and development bureaus, technical and support services, intelligence and criminal investigation units and other bodies and units as determined by the State Government from time to time.
- (1) The State Government may, by notification, divide the entire geographical area of the State into one or more Police Zones.

Police Zones and Ranges.

- (2) The administration of the Police in the Police Zone shall vest in an officer of the rank of Inspector General of Police.
- (3) The State Government may, by notification, divide the entire geographical area of Zone into one or more Police Ranges.
- (4) The administration of the Police in the Police Range shall vest in an officer not below the rank of Deputy Inspector General of Police.
- (1) The State Government may, by notification, divide the geographical area of the State into Police Districts:

Police District. Provided that existing Police Districts shall continue to be the Police Districts until areas are altered or re-notified.

- (2) The administration of police in a Police
  District throughout the local jurisdiction
  of the District Magistrate shall, under the
  general control and direction of the District
  Magistrate be vested in a District Superintendent
  of Police.
- 6. (1) The State Government may, by notification divide each Police District into one or more Sub divisions, and appoint a Assistant/ Deputy Superintendent of Police, to be in charge of such sub division:

Sub divisions and Police District-level Special Cells.

Provided that existing Sub divisions shall continue to be the sub divisions until they are altered or re-notified.

- (2) The State Government may, by notification establish/create one or more Special Cells in a Police District and may appoint an officer not below the rank of Deputy Superintendent of Police to be the in-charge of such special cell.
- (1) The State Government may, by notification, establish one or more Police Stations in a sub division specifying the territorial jurisdiction of each such Police Station.

Police Station.

- (2) The State Government may appoint a police officer not below the rank of Sub-Inspector of Police to be in charge of a Police Station.
- (3) The State Government may, by notification, establish one or more outposts within the territorial jurisdiction of a Police Station specifying the territorial jurisdiction of such outpost:

Provided that the State Government may, by notification, invest any outpost with such powers and responsibilities of a Police Station as it deems necessary:

Provided further that existing Police Stations and outposts shall continue to be the Police Stations and outposts until they are altered or re-notified.

 The State Government may, by notification, create one or more Police Districts headed by a Superintendent of Police and embracing such railway areas in the State as the Government may specify. Special provisions pertaining to Railway Areas.

 (1) Subject to Rules prescribed in this behalf, the Superintendent of Police may at any time, by an order in writing, appoint any person to act as a Special Police Officer for a period as specified in the appointment order.

Special Police Officers.

- (2) Every special police officer so appointed shall have the same powers, privileges and protection, and shall be liable to perform the same duties and shall be amendable to the same penalties, and be subordinate to the same authorities, as the ordinary officers of the police.
- 10. (1) The State Government, or as the case may be, an authority specially empowered by the State Government in this behalf, may appoint Additional Police Officers for such purposes, and on such terms and conditions and in such manner as may be prescribed.

Additional Police Officers.

(2) The deployment or deputation of such Additional Police Officers may be made at the request of any person showing the necessity thereof, and the cost incurred on such deployment or deputation may be recovered from the person making request for such deployment or deputation in the manner prescribed.

# Chapter-III- Direction and Supervision of the Police.

 Superintendence over the State Police in respect of all matters shall vest in the State Government. Superintendence over the State Police.

12. (1) The State Government shall appoint a
Director General of Police for the overall
administration, direction and supervision
of the State Police.

Director General of Police.

(2) The Director General of Police shall be appointed from a panel of officers consisting of the officers already working in the rank of the Director General, or the officers who have been found suitable for promotion in the rank of Director General after screening by a Committee under the provisions of the All-India Services Act, 1951 (No. LXI of 1951) and in accordance with the rules applicable for such promotion:

Provided that number of officers in the panel shall not exceed three or double the number of cadre posts sanctioned for the rank of Director General in the State, whichever is less.

- (3) Subject to the rules made under All India Services Act, 1951 (No. LXI of 1951), the Director General of Police so appointed under sub-section (2) shall have a minimum tenure of two years.
- (4) Notwithstanding anything in sub-section (3), Director General of Police may be removed from his post before the expiry of its tenure by the Government by the order in writing specifying reasons, consequent upon,-

 (a) Conviction by a court of law in a criminal offence or where charges have been framed by a court in a case involving corruption or moral turpitude;

(b) Superannuation;

- (c) Punishment of reduction to a lower post, awarded under the provisions of the All India Services (Discipline and Appeal) Rules, 1969 or any other relevant rule;
- (d) Suspension;
- (e) Incapacity in discharging his functions as Director General of Police due to physical or mental illness;
- (f) On his own request; or
- (g) An administrative exigency which shall be recorded in writing.
- 13. (1) The State Government may appoint an officer not below the rank of Deputy Inspector General of Police to assist the Director General of Police to be in-charge of direction and supervision of the Police deployed in Railway Areas.

Supervision of Police in Railway Areas.

- (2) The supervision of a Police District in a Railway Area shall vest in a Superintendent of Police.
- 14. (1) Police officer posted as Officer-in-charge of a Police Station; or as a District Superintendent of Police, in-charge of a Police District shall have a minimum tenure of two years.

Tenure of office of certain police officers on police duties.

- (2) Notwithstanding anything in sub-section (1), any officer referred to in sub-section (1) may be removed or transferred from his post before the expiry of the minimum tenure of two years consequent upon,-
  - (a) Promotion to a higher post;
  - (b) Superannuation;
  - (c) Conviction by a court of law;
  - (d) Charges having been framed, by a court of law in a criminal case;
  - (e) Punishment of dismissal, removal, discharge or compulsory retirement from service or of reduction to a lower rank awarded under the rules relating to disciplinary actions applicable to him;
  - (f) Suspension;

- 572 (32) (39
- (g) Incapacity in discharging his functions and duties due to physical or mental illness;
- (h) On his own request; or
- (i) An administrative exigency which shall be recorded in writing.
- 15. (1) Subject to the provisions of Article 311 of the Constitution of India, the Director General of Police or any other police officer authorised by the State Government in this behalf may dismiss, remove from service, reduce in rank, or confine to quarters for a term not exceeding fifteen days (with or without punishment drill, extra guard, fatigue or other duty) any police officer of subordinate ranks found to be remiss or negligent in the discharge of his duties or unfit for the same, or guilty of any misconduct.

Disciplinary proceedings against police officers of subordinate ranks.

(2) The State Government may make rules to give effect to the provisions of sub-section (1).

# Chapter-IV- State Police Commission and Police Establishment Board.

- (1) The State Government shall establish a State State 16. Police Commission (hereinafter referred to as the Police Commission. "Commission"), which shall perform functions assigned to it under the provisions of this Chapter.
  - (2) The Home Minister shall be the Chairman of the Commission and other members of the Commission shall be as follows:-
    - (a) Chief Secretary;
    - (b) Secretary in charge of the Home Department;
    - (c) Director General of Police;
    - (d) Member, State Human Rights Commission to be nominated by State Government;
    - (e) Two Independent Members, (persons of proven reputation for integrity and competence from any field such as academia, law, public administration, media or any other field) to be appointed by the State Government.

- (3) Director General of Police shall be Secretary of the Commission.
- 17. A person shall not be eligible to be a member of the Authority, if he -
  - (a) Is not a citizen of India;
  - (b) Is above 70 years of age;
  - (c) Is serving in any police, military or allied organisation, or has so served in the twelve months preceding such appointment;
  - (d) Is employed as a public servant;
  - (e) Holds any elected office, including that of Member of Parliament or State Legislature or any local body;
  - (f) Is a member of, or is associated in any manner with, an organization declared as unlawful under an existing law;
  - (g) Is an office bearer or a member of any political party;
  - (h) Has been convicted for any criminal offence involving moral turpitude or for an offence punishable with imprisonment of one year or more;
  - (i) Is facing prosecution for any offence mentioned in clause (h) above and against whom charges have been framed by a court of law; or
  - (j) Is of unsound mind.
- 18. (1) The term of an Independent Member shall be for a period of two years from the date of appointment and he shall not be eligible for reappointment.
  - (2) An Independent Member shall serve in an honorary capacity and the privileges and facilities to be extended to such member shall be such as may be prescribed.
- 19. The State Government may by order in writing remove an Independent Member on any of the following grounds:-
  - (a) (i) incompetence;

Disqualification for appointment as Independent Members.

> Term and privileges of Independent Member.

Removal of Independent Members.



- (ii) misbehaviour;
- (iii) failure to attend three consecutive meetings of the Commission without sufficient cause;
- (iv) incapacitation by reasons of physical or mental infirmity; or
- (v) otherwise becoming unable to discharge his functions as a member.
- (b) If he incurs any disqualifications specified in Section 17.
- 20. The Commission shall perform the following functions, namely:-
  - To advise the State Government on policy guidelines for promoting efficient, effective, responsive and accountable policing;
  - (2) To assist the State Government in identifying performance indicators to evaluate the functioning of the Police Force;
  - (3) To communicate to the State Government its views on the performance of the Police; and
  - (4) To formulate perspective plans for policing and submit them to the State Government.
- 21. The Commission shall, at the end of each year, present to the State Government a report on its work during the preceding year as well as of performance of the Police.
- 22. (1) The State Government shall by a notification constitute a Police Establishment Board (hereinafter referred to as the "Board") with the Director General of Police as its Chairman and four other senior police officers not below the rank of Deputy Inspector General of Police.
  - (2) The Board shall perform the following functions and duties -
    - (a) Transfer of subordinate ranks up to the level of Inspector from one Zone or Range or District to another;

Functions of the State Police Commission.

Annual report of the State Police Commission.

Police Establishment Board.

- (b) Receive and examine representation from police officers aggrieved by any order of superior officers, other than the orders passed under the rule made under the Article 309 of the Constitution of India and: -
  - Decide such representation if it is received from a police officer of the sub-ordinate rank;
  - II. Make recommendation to the State Government in other cases.
- (c) Such other functions and duties as may be prescribed.
- (3) The State Government may review the orders passed by Police Establishment Board on representation made by aggrieved Police Officers within 90 days from the date of order.

Chapter-V- Functions and Responsibilities of Police Officers.

23. The following shall be the functions and responsibilities of a police officer:-

Role, functions and duties of the Police.

- (1) (a) To enforce the law, and to protect life, liberty, property, rights and dignity of the people;
  - (b) To prevent crime and public nuisance;
  - (c) To maintain public order;
  - (d) To preserve internal security, prevent and control terrorist activities and to prevent breach of public peace;
  - (e) To protect public property;
  - (f) To detect offences and bring the offenders to justice;
  - (g) To arrest persons whom he is legally authorised to arrest and for whose arrest sufficient grounds exist;

- (h) To help people in situations arising out of natural or man -made disasters, and to assist other agencies in relief measures;
- (i) To facilitate orderly movement of people and vehicles, and to control and regulate traffic;
- (j) To gather intelligence relating to matters affecting public peace and crime;
- (k) To provide security to public authorities in discharging their functions;
- (1) To perform all such duties and discharge such responsibilities as may be enjoined upon him by law or by an authority empowered to issue such directions under any law.
- (2) The State Government, or an authority specially empowered in this behalf by the State Government may assign such other duties and responsibilities to police officers as may be specified by the State Government.
- 24. Every police officer shall be considered to be always on duty, when employed as a police officer in the State or deployed outside the State.

Police officers always on duty and may be employed in the State or deployed outside the State.

25. No police officer may engage in an employment or office whatsoever, other than his duties under this Act, unless expressly permitted to do so in writing by the State Government. Police officers not to engage in other employment.

26. No police officer shall be at liberty to withdraw himself from duties unless expressly allowed to do so by the officer authorised to grant such permission. Police officers not to withdraw from duty, etc.



27. It shall be lawful for the police officer to lay any information before a Magistrate having jurisdiction, and to apply for a summon, warrant, search warrant or such other legal process as may, by law, be issued against any person committing an offence.

Police officers may lay information etc.

28. (1) It shall be the duty of every police officer to take charge of all unclaimed property, and to furnish an inventory thereof to the Police Station having jurisdiction.

Police officers to take charge of unclaimed property.

- (2) The manner of disposal of such property shall be such as may be directed by the District Magistrate or Sub-Divisional Magistrate as the case may be.
- 29. It shall be the duty of every officer in charge of a police station to keep a general diary in such form and manner as may be prescribed.

Police officers to keep diary.

30. (1) The State Government may prescribe the forms and the manner of returns to be submitted to it by the Director General of Police.

Government may prescribe form of returns.

- (2) The Director General of Police may specify by an order the form and the manner of returns to be furnished to him by other police officers.
- 31. (1) The State Government may prescribe uniform, insignia and accourrements for police officers or class of police officers as the case may be.

Uniforms, insignia, accoutrements, etc.

(2) The Director General of Police may, from time to time, issue directions for wearing of uniforms and carrying of insignia and accourrements.

## Chapter-VI- Special Provisions of Policing

32. (1) The State Government may, by general or special order, create in any Police District, sub division or as the case may be, Police Station, a Special Crime Investigation Unit, headed by an officer not below the rank of Sub-Inspector of Police.

Special Crime Investigation Units.

- 572 (38) (40)
  - (2) The police officers posted to such units shall not be assigned to any other duty, except under very special circumstances with the permission of the Director General of Police.
  - (3) The Director General of Police may, by general or special order, specify the offences which may be investigated by the Special Crime Investigation Unit.
- 33. Subject to any checks and restrictions as may be specified by an order by the State Government-

Power to reserve Public places and raise barriers.

- (a) The District Superintendent of Police may temporarily reserve, by public notice, any street or other public place for any public purpose and regulate the movement of person and vehicles in the area so reserved; and
- (b) The District Superintendent of Police may, in the interest of general public, authorise any police officer to raise barriers and other necessary structures on public roads and streets for maintenance of public order or to check vehicles or occupants thereof for prevention and detection of any crime.
- 34. (1) The District Superintendent of Police may issue general or special orders for regulating all assemblies and processions on the public roads, or in public streets or thoroughfares and prescribe the routes by which, and the times at which, such processions may pass:

Regulation of Assemblies, Processions and premises.

Provided that where the District Superintendent of Police is satisfied that it is intended by any person or class of persons to convene or collect an assembly on such road, street or thoroughfare, or to form a procession which would, if uncontrolled, be likely to cause a breach of peace, he may direct such persons or class of persons to seek permission from the District Magistrate or Sub Divisional Magistrate as the case may be.

(2) The District Magistrate or Sub Divisional Magistrate may grant the requisite permission with such conditions as he may deem appropriate:

Provided that he may refuse to grant permission to convene or collect as assembly in such road, street or thoroughfare, or form a procession which would in his opinion, be likely to cause a breach of the peace.

- (3) Any police officer on whom the responsibility to regulate a public assembly or procession is enjoined upon, may stop any procession which does not possess the permission referred to in sub-section (2) or which, in his opinion, violates the conditions of the permission, and may order any such procession or any such assembly to disperse.
- (4) Any procession or assembly which neglects or refuses to obey any order given under the preceding subsection, shall be deemed to be an unlawful assembly.
- (5) The District Superintendent of Police may, in the interest of general public, issue orders for regulating the entry or exit or hours of operation of a public place.
- (6) The District Superintendent of Police may, by an order require every owner of a household, a shop or a public premise, to furnish details of a tenant, lessee, licensee, person engaged for domestic help or otherwise in occupation of the premises in the form specified by him for this purpose.
- 35. The District Superintendent of Police may, from time to time issue directions for regulating the use of public roads and streets in respect of motorists, cyclists, pedestrians and persons accompanying animals, and for regulating the parking of vehicles including bicycles, with a view to ensure smooth and orderly movement of traffic.

Regulation of Traffic.



36. The State Government may, by notification, confer on any person any of the powers which may be exercised by a police officer under any Act for the time being in force and such person shall be subject to the orders of the District Superintendent of Police. Conferment of powers of policeofficers.

37. The District Superintendent of Police shall constitute, in the manner prescribed, one or more Community Liaison Group consisting of representatives of the community for each police station, to aid and assist the Police Force in the discharge of its functions.

Community Liaison Group.

## Chapter-VII- Police Accountability

38. (1) The State Government may, as soon as may be, establish a State Police Accountability Authority (hereinafter referred to as "Authority").

Police Accountability Authority.

- (2) Authority may be provided with such secretarial assistance as the State Government may determine, from time to time, by a general or special order.
- 39. The Authority shall have four members appointed by the State Government, with a credible record of integrity and commitment to human rights and shall consist of -

Composition of the Authority.

- A retired judge of High Court or retired judge of Higher Judicial Service, who was at the time of superannuation, qualified to become a judge of High Court, who shall be Chairperson of the Authority;
- (2) A retired Police Officer superannuated in the rank of Additional Director General of Police or above;
- (3) A retired civil servant superannuated in the rank of Secretary to the State Government or above;

(4) A person of repute and standing from the civil society ordinarily residing in the State of Chhattisgarh:

Provided that at least one member of the Authority shall be a woman.

- A person shall not be eligible to be a member of the Authority, if he -
- Disqualification for membership.

- (a) Is not a citizen of India;
- (b) Is above 70 years of age;
- (c) Is serving in any police, military or allied organization, or has so served during twelve months preceding such appointment;
- (d) Is employed as a public servant;
- (e) Is a Member of Parliament or the Legislature of State or a local body; or is an office-bearer of any political party or any organization connected with a political party;
- (f) Has been convicted for any criminal offence involving moral turpitude or for an offence punishable with imprisonment of one year or more;
- (g) Is facing prosecution for any offence mentioned in clause (f) above and against whom charges have been framed by a court of law; or
- (h) Is of unsound mind declared by a competent court.
- 41. (1) The term of office of a member, and the chairperson, shall be two years and may be eligible for re-appointment for another term.

(2) He may resign from the office at any time before the expiry of his term.

(3) The remuneration, allowances and other terms and conditions of service of the members shall be such as may be notified, by the State Government from time to time. Term of office and conditions. of service of members and Chairperson. 42. Any member or Chairperson, may be removed from office, on a recommendation being made by the Authority by a majority of three-fourths of members, by an order of the State Government on the grounds of -

Removal of Chairperson or Members.

- (a) Proven misconduct or misbehaviour;
- (b) Persistent neglect to perform duties of the Authority;
- (c) Occurrence of any situation that would make a member ineligible for appointment to the Authority under Section 40; or
- (d) The member concerned engaging himself during his term of office in any paid employment outside the duties of his office.
- 43. (1) The powers and functions of the Authority shall be as follows:-

Functions of the Authority.

- (a) To inquire into allegations of "serious misconduct" against police personnel on a complaint:-
  - (i) received from a victim or a close relative of the victim supported by an affidavit;
  - (ii) referred to it by the State Government.
- (b) To carry out such other functions as the State Government may, from time to time, specify by an order.

Explanation:-"Serious misconduct" for the purpose of this Chapter means:-

Any malafide act of omission or commission by a police officer that leads to or amounts to ,-

- (i) (a) Death; or
  - (b) Rape or attempt to commit rape; or
  - (c) Grievous hurt in Police custody; or in the Custody of Police; or
- (ii) Such other acts as may be specified by State Government by an order of the State Government.
- (2) Notwithstanding any thing contained in forgoing sub-sections the Authority shall not take cognizance of a complaint in cases which are already being enquired in to by the National Human Rights Commission, State

Human Rights Commission or is a subject matter under the Commission of Enquiries Act or is sub-judice.

- (3) No cognizance shall be taken by the Authority in any complaint received after six months from the date of occurrence.
- (4) The Authority shall while enquiring in to the matter or performing any function under sub section (1) has all the powers of a civil court trying a suit and, in particular, in respect of the following matters, namely:-
  - (a) summoning and enforcing the attendance of any person from any part of India and examining him on oath;
  - (b) requiring the discovery and production of any document;
  - (c) receiving evidence on affidavits;
  - (d) requisitioning any public record or copy thereof from any court or office;
  - (e) issuing commissions for the examination of witnesses and documents; and
  - (f) any other matter which may be prescribed.
- (5) The Authority shall submit the report to the State Government and also make recommendations, wherever it deem fit.

## Chapter-VIII- Welfare and Grievance Redressal.

44.	The State Government may, by general or special order, specify such measures as deemed appropriate, for the welfare of the Police Officers.	Welfare of Police
45.	(1) The State Government may, by notification, constitute funds for the police personnel.	Funds for welfare of
	(2) The funds shall be administered and audited in such manner as may be prescribed.	police personnel.

- 572 (44) (46
  - (3) The following sums shall be credited to the funds, namely:-
    - (a) any grant made by the State Government;
    - (b) contributions made in the fund by police personnel; or
    - (c) any other grant, donation, bequest made for the purposes of the funds.
- 46. (1) The State Government may, by notification, set-up a Police Welfare Bureau, for implementing welfare measures for police personnel.

Police Welfare Bureau.

- (2) The State Government may specify composition, functions and responsibilities of the Police Welfare Bureau.
- (1) The State Government may prescribe the 47. mechanism and the procedure for the redressal of the grievances of police officers.

(2) Such mechanism shall ensure a set-up for grievance redressal at the Police District, Police Range, Police Zone and Director General of Police level and shall ensure that every police officer has the right of at least one appeal if he is not satisfied with the disposal of his grievance.

Grievance redressal of police personnel.

## Chapter-IX- General Offences and Penalties.

(1) Any person found indulging in the following acts 48. of misconduct at any public place shall be punishable with fine not exceeding Rs.1000, namely:-

Offences of disorderly conduct.

- (a) found intoxicated and riotous or found committing a nuisance in public;
- (b) knowingly spreading rumours or causing a false alarm to mislead the police, fire brigade, or any other essential service or; and
- (c) causing annoyance to woman or any person by making indecent overtures or calls by stalking.

- (2) It shall be lawful for a Police Officer to arrest such person without warrant.
- (3) Any offence committed under sub-section (1) may be compounded on the spot by the Police Officer authorised in this behalf on payment of Rs.500/- by the offender.
- (4) Where the offence has been compounded under sub-section (3), the offender, if in custody, shall be released at once and no further proceeding shall be taken against him in respect of such offence.
- (5) If offence is not compounded, person arrested under sub section (2) shall be produced before the Magistrate concerned within 24 hours of his arrest.
- 49. Whoever, not being a police officer, wears a police uniform or any dress having the appearance or bearing any of the distinctive marks of that uniform without being authorised by the State Government or as the case may be, an officer authorised by the State Government, shall, in addition to punishment provided in any other Law for time being enforce, be punished with imprisonment not exceeding six months or fine or with both.

Unauthorised use of police uniform.

## Chapter-X- Miscellaneous

50. (1) The State Government may make rules for carrying out the purposes of this Act:

Power to make Rules.

Provided that existing State Police regulations shall continue to be in force till altered or repealed.

- (2) All rules made under this Act shall be laid before the State Legislature as soon as possible.
- 51. (1) Subject to the provisions of this Act and rules made there under the Director General of Police may with prior approval of the State Government frame regulations for;-

Power to make Regulations.

(a) Prevention and investigation of crime;

- 572 (46) (48)
  - (b) Inspection of the police organisation, and of the work performed by police officers;
  - (c) Determining the description and quantity of of arms, accoutrements, clothing and other articles of wearing and carrying to be provided to the state police;
  - (d) Assigning duties of officers of all ranks and grades, and prescribing the manner and the conditions subject to which, they shall exercise and perform their respective powers and duties;
  - (e) Collection and communication of intelligence and information by the police;
  - (f) Prescribing the records, registers and forms to be maintained and the returns to be submitted by different police units and officers;
  - (g) Generally, for the purpose of rendering the police more efficient, and preventing abuse of power and neglect of duties by them; and
  - (h) Such other matter as the State Government, by a notification, may direct:

Provided that existing State Police regulations shall continue to be in force till altered or repealed.

- (2) Regulations and its amendment made under this Act shall be notify in the Official Gazette and such notification shall be come into force after its publication in the Official Gazette.
- (3) Any other matter as determined by the State Government by an order published in the Official Gazette.
- 52. (1) If any difficulty arises in giving effect to the provisions of this Act, the State Government may, by an order to be published in the Official Gazette, make such provisions, not inconsistent with this Act, as it deems necessary or expedient for removing the difficulty:

Power to remove difficulties.

Provided that no order under this section shall be made after expiry of three years from the date of commencement of the Act.



- (2) Every order issued under this section shall, as soon as possible, be laid before the State Legislature.
- (1) The Indian Police Act, 1861 (No. 5 of 1861) in its application to the State of Chhattisgarh is hereby repealed.

Repeal and Saving.

(2) The repeal under sub-section (1) shall not affect the previous operation of this enactment so repealed and anything done or action taken or deemed to have been done or taken (including any appointment or delegation made, notification, order, direction or notice issued, regulation or rules made) by or under the provisions of the repealed enactment shall, insofar as it is not inconsistent with the provisions of this Act, be deemed to have been done or taken under the provisions of this Act, and shall continue in force unless and until suspended by anything done on any action taken under this Act.

"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी. 2-22-छत्तीसगढ़ गजट/38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-5-2001."



पंजीयन क्रमांक "छत्तीसगढ़/दुर्ग/ तक, 114-009/2003/20-01-03."

# छत्तीसगढ़ राजपत्र

# ( असाधारण ) प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 109 ]

रायपुर, बुधवार, दिनांक ९ अप्रैल २००८—चैत्र २०, शक 1930

विधि और विधायी कार्य विभाग मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 9 अप्रैल 2008

क्रमांक 3054/डी. 110/21-अ/प्रा./छ. ग./08.—छत्तीसगढ़ विधान सभा का निम्नलिखित अधिनियम जिस पर दिनांक 29-03-2008 को राज्यपाल की अनुमति प्राप्त हो चुकी है, एतद्द्वारा सर्वसाधारण की जानकारी के लिए प्रकाशित किया जाता है.

> छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, यू. के. काटिया, उप-सचित्र.

## छत्तीसगढ़ अधिनियम (क्रमांक 6 सन् 2008)

## छत्तीसगढ़ पुलिस ( संशोधन ) अधिनियम, 2008

छत्तीसगढ़ पुलिस अधिनियम, 2007 ( क्रमांक 13 सन् 2007 ) को संशोधित करने हेतु अधिनियम.

भारत गणराज्य के अट्ठावनवें वर्ष में छत्तीसगढ़ विधान मण्डल द्वारा निम्नलिखित रूप से यह अधिनियमित

हो :--

2.

- संक्षित नाम तथा प्रारंभ.
- (1) . इस अधिनियम का संक्षित नाम छत्तीसगढ़ पुलिस (संशोधन) अधिनियम, 2007 है.
- (2) यह राजपत्र में इसके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होगा.
- धारा 17 का संशोधन.
- छत्तीसगढ़ पुलिस अधिनियम, 2007 (क्रमांक 13 सन् 2007) (जो इसमें इसके पश्चात् मूल अधिनियम के नाम से निर्दिष्ट है), की धारा 17 में,—
  - (1) शब्द "प्राधिकरण का सदस्य" के स्थान पर शब्द "आयोग का स्वतंत्र सदस्य" प्रतिस्थापित किया जाये.
  - (2) खण्ड (ग) का लोप किया जाये.
- धारा 40 के खंड (ग) 3. मूल अधिनियम की धारा 40 के खण्ड (ग) का लोप किया जाये. का लोप
- धारा 48 का लोप.
- 4. मूल अधिनियम की धारा 48 का लोप किया जाये.

#### रायपुर, दिनांक 9 अप्रैल 2008

क्रमांक 3054/डी. 110/21-अ/प्रा./छ. ग./08.---भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में छत्तीसगढ़ पुलिस (संशोधन) अधिनियम, 2008 (क्रमांक 6 सन् 2008) का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है.

> छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, यू. के. काटिया, उप-सचिव.

# CHHATTISGARH ACT (No. 6 of 2008)

#### THE CHHATTISGARH POLICE (AMENDMENT) ACT, 2008

An Act to amend the Chhattisgarh Police Act, 2007 (No. 13 of 2007).

Be it enacted by the Chhattisgarh Legislature in the Fifty-Eighth Year of the Republic of India, as follows:-

1. (1) This Act may be called the Chhattisgarh Police (Amendment) Act, 2007.

Short title and Commencement.

- (2) It shall come into force from the date of its publication in the Official Gazette.
- 2. In Section 17 of the Chhattisgarh Police Act, 2007 (No. 13 of 2007) (here-in-after referred to as the Principal Act),—

Amendment of Section 17.

- (1) For the words "a member of the Authority" the words "an independent member of the Commission" shall be substituted.
- (2) Clause (c) shall be omitted.
- 3. Clause (c) of Section 40 of the Principal Act shall be omitted.

Omission of Clause (c) of Section 40.

4. Section 48 of the Principal Act shall be omitted.

Omission of Section

"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी.2-22-छत्तीसगढ़ गजट / 38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-05-2001."



पंजीयन क्रमांक ''छत्तीसगद/दुर्ग/09/2013-2015.''

# छत्तीसगढ़ राजपत्र

# (असाधारण) प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 99 ]

रायपुर, बुधवार, दिनांक 23 मार्च 2016- चैत्र 3, शक 1938

विधि और विधायी कार्य विभाग मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर

रायपुर, दिनांक 23 मार्च 2016

क्रमांक 3137/डी. 99/21-अ/प्रारू./छ. ग./16. — छत्तीसगढ़ विधान सभा का निम्नलिखित अधिनियम जिस पर दिनांक 27-02-2016 को राज्यपाल की अनुमति प्राप्त हो चुकी है, एतद्द्वारा सर्वसाधारण की जानकारी के लिए प्रकाशित किया जाता है.

> छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, ए. के. सिंघल, अतिरिक्त सचिव.

## छत्तीसगढ़ अधिनियम (क्रमांक 10 सन् 2016)

## छत्तीसगढ़ पुलिस (संशोधन) अधिनियम, 2015

छत्तीसगढ़ पुलिस अधिनियम, 2007 (क्र. 13 सन् 2007) को और संशोधित करने हेतु अधिनियम.

भारत गणराज्य के छियासठवें वर्ष में छत्तीसगढ़ विधानमण्डल द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :-

- संक्षिप्त नाम तथा 1. प्रारंभ.
- (1) यह अधिनियम छत्तीसगढ़ पुलिस (संशोधन) अधिनियम, 2015 कहलाएगा.
- (2) यह राजपत्र में इसके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होगा.
- धारा 22 का संशोधन.

2.

- (1) छत्तीसगढ़ पुलिस अधिनियम, 2007 (क्र. 13 सन् 2007), ( जो इसमें इसके पश्चात् मूल अधिनियम के रूप में निर्दिष्ट है), की धारा 22 की उप-धारा (2) के खण्ड (क) के स्थान पर, निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाये, अर्थात्:-
  - "(क) सहायक उप-निरीक्षक के स्तर तक के अधीनस्थ श्रेणी का एक जोन अथवा रेंज के जिले से दूसरे जोन अथवा रेंज के जिले में तथा उप-निरीक्षक एवं निरीक्षकों का एक जोन या रेंज या जिले से दूसरे जोन या रेंज या जिले में स्थानांतरण करना;"
- (2) मूल अधिनियम की धारा 22 की उप-धारा (3) के पश्चात्, निम्नलिखित जोड़ा जाये, अर्थात् :-
  - "(4) पुलिस महानिदेशक, प्रत्येक पुलिस रेंज में रेंज पुलिस स्थापना बोर्ड, जो "रेंज बोर्ड" कहलायेगा, गठित करेगा जिसमें रेंज पुलिस महानिरीक्षक इसके सभापित तथा उस रेंज के दो जिला पुलिस अधीक्षक इसके सदस्य होंगे जिनके पास सहायक उप-निरीक्षक स्तर तक के अधीनस्थ श्रेणी का, पुलिस रेंज के अंदर एक जिले से दूसरे जिले में, स्थानांतरण करने का प्राधिकार होगा.
  - (5) पुलिस स्थापना बोर्ड, व्यथित पुलिस अधिकारी द्वारा आदेश की तिथि से 30 दिवस के भीतर अभ्यावेदन देने पर, रेंज बोर्ड द्वारा पारित आदेशों का पुनर्विलोकन कर सकेगा."

### रायपुर, दिनांक 23 मार्च 2016

क्रमांक 3137/डी. 99/21-अ/प्रारू./छ. ग./16. — भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में इस विभाग की समसंख्यक अधिसूचना दिनांक 23-03-2016 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है.

> छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, ए. के. सिंघल, अतिरिक्त सचिव.

### CHHATTISGARH ACT (No. 10 of 2016)

#### THE CHHATTISGARH POLICE (AMENDMENT) ACT, 2015

An Act further to amend the Chhattisgarh Police Act, 2007 (No. 13 of 2007).

Be it enacted by the Chhattisgarh Legislature in the Sixty-sixth Year of the Republic of India, as follows:-

- Short title and commencement.

  (1) This Act may be called the Chhattisgarh Police (Amendment) Act, 2015.

  (2) It shall come into force from the date of its publication in the Official Gazette.

  Amendment of 2. (1) For clause (a) of sub-section (2) of Section 22 of the Chhattisgarh Police Act, 2007 (No. 13 of 2007), (hereinafter referred to as the Principal Act), the following shall be substituted, namely:-
  - "(a) Transfer of subordinate ranks upto the level of and including Assistant Sub-Inspector from a district in one Zone or Range to a district in another Zone or Range and of the ranks of Sub-Inspector and Inspector from one Zone or Range or District to another;"
  - (2) After sub-section (3) of Section 22 of the Principal Act, the following shall be added, namely:-
    - "(4) The Director General of Police shall constitute a Range Police Establishment Board for each Police Range to be called as the "Range Board" with the Range Inspector General of Police as its Chairman and two District Superintendents of Police of the Range as its members which shall have authority to transfer subordinate ranks upto the level of and including Assistant Sub-Inspector from one district to another within the Police Range.
    - (5) The Police Establishment Board may review the orders passed by the Range Board on representation made by the aggrieved Police Officers within 30 days from the date of order."